समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर कैंप सागर

P. 2226-I-16

खुमान तनय श्री जग्गू अहिरवार
निवासी ग्राम–नयागांव तह0 नौगांव
जिला– छतरपुर(म0प्र0) ....आवेदक

//बनाम//

म0प्र0शासन
द्वारा–तहसीलदार नौगांव(म0प्र0) ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर के प्र0क्र013/अ–68/2015–16 में पारित आदेश दिनाँक 11.05.2016 से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ख0नं0907/1, 906/12, 906/13 रकवा क्रमशः 38X120वर्गफिट,70X6 वर्गफिट, 50X80 वर्गफीट भूखण्डों पर आवेदक के पैत्रिक मकान बने हुये है जो कि आबादी के अंतर्गत् आते है, आवेदक ने वर्ष 2010 में तुलाराम तनय प्यारेलाल द्वारा ग्राम के निस्तार वाली जगह का अतिकमण किये जाने पर उसकी शिकायत की थी एवं उसे तहसीलदार द्वारा जेल की कार्यवाही की थी। जबकि आवेदक के मकान के ख0नं0906/13 पर अंतिम बार वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत नयागांव से विधिवत स्वीकृति हेतु अनुमति शुल्क रूपये 201 रसीद क्रमांक 03./4–11–2006 से जमा कर आदेश क्रमांक 46/ग्राम पंचा0/2006दिनाँक 30.10.2006 से दो अतिरिक्त कक्ष कानकशा पास कराकर निर्माण कार्य किया गया है। जिसके रंजिशवश शिकायत आवेदक के पुत्र करन सिंह के विरूद्ध की शिकायत की थी जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण संहिता की धारा 248 में पंजीबद्ध किया गया जिसका जबाब आवेदक के पुत्र करन द्वारा दिया गया उक्त प्रकरण में आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उक्त मकान आवेदक के नाम है, आवेदक द्वारा विधिवत् आ01नि010व्य0प्र0संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2226–एक/2016 जिला छतरपुर

खुमान विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 13/अ–68/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (3) सदस्य 07/3/19	